

प्रपत्र-1

माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 216/2014 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के परियोजना का नाम:- विधानसभा क्षेत्र धारचूला में न्यू-सोबला से सुवा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। स्वीकृत लम्बाई 10.800 किमी०।

प्रतिवेदन

उक्त मोटर मार्ग हेतु शासनादेश संख्या 6203/111(2)/14-04 (मु०मं०घो०)/2014 टी०सी० दिनांक 21-11-2014 द्वारा लागत 74.16 लाख मात्र की लम्बाई 8.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसमें सुवा गांव तक 8.00 किमी० मोटर मार्ग में नहीं जुड़ पा रहा है। सुवा गांव को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु कुल लम्बाई 10.800 किमी० आ रही है इसलिए सुवा गांव तक मोटर मार्ग का सर्वेक्षण कर कुल लम्बाई 10.800 किमी० के अनुसार प्रस्ताव गठित किया गया है जिसमें सुवा गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण हो सकता है। इस मार्ग का वन भूमि क्षेत्रफल 9.00 मी० चौड़ाई के अनुसार गणना कर मोटर मार्ग में प्रभावित राज्य/सिविल भूमि 5.445 हे० एवं वन पंचायत 0.315 हे० एवं मलुवा निस्तारण हेतु 0.340 हे० वन भूमि प्रभावित हो रही है। इस प्रकार कुल राज्य/वन भूमि 6.100 हे० वनभूमि हस्तान्तरण हेतु यह प्रस्ताव गठित किया गया है। जिसमें वृक्षों की गणना 9.00 मी० चौ० में की गई है। जिसमें 12 बांज वृक्ष भी प्रभावित हो रहे हैं, वृक्षों की सूची प्रस्ताव में संलग्न है। इस मार्ग से निम्नलिखित गांव लाभान्वित होंगे :-

ग्राम का नाम	जनसंख्या
1 न्यू	231
2 सुवा	648

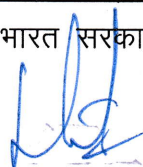
इस प्रस्ताव में मार्ग के संलग्न बारचार्ट व लैण्ड शैड्यूल के अनुसार निम्न प्रकार की भूमि हस्तान्तरित होनी है :-

1 आरक्षित वन भूमि	प्रभावित नहीं
2 मोटर मार्ग में प्रभावित राज्य भूमि	5.445 हे०
3 वन पंचायत भूमि	0.315 हे०
4 मलूवा निस्तारण हेतु राज्य भूमि	0.340 हे०
कुल वनभूमि	6.100 हे०
1 नाप भूमि	3.960 हे०
कुल भूमि	10.06 हे०

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव गठित कर राज्य सरकार/भारत सरकार की स्वीकृति हेतु 6.100 हे० वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव प्रस्तुत है।


JG


सहायक अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
धारचूला (अर.भोट)


अपिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि
भारकोट (पिथौरागढ़)